-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2023 में थाना बबेरु क्षेत्र में व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 31.03.2023 को थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ब्योंजा में एक व्यक्ति को उसके रिश्तेदार द्वारा पत्थर से सिर कुचल कर मार दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पुत्र कैलाश की तहरीर पर को थाना बबेरु पर मु0अ0स0 142/2023 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बबेरु श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 25.08.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री श्रवण कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त रज्जू उर्फ शिवपूजन को मा0 न्यायालय बांदा आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. रज्जू उर्फ शिवपूजन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम खौही थाना बरौंधा जनपद सतना (म0प्र)।